



2026:AHC: 176563

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 833 वर्ष 2026

अर्णव अनेजा अवयस्क और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिरुद्ध सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, जय सिंह यादव, राजीव कुमार सिंह

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से दाखिल शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आदेश दिनांक 30.07.2026 के माध्यम से, राज्य के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 4 को अवयस्क बंदी (कार्पस), अर्णव अनेजा को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, पुलिस थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के उप-निरीक्षक प्रदीप नारायण, पीएनओ संख्या 234118537 द्वारा बंदी (कार्पस) को प्रस्तुत किया गया है।
3. इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस) से बातचीत करने का प्रयास किया; हालांकि, वह बहुत शर्मीला था और न्यायालय की ओर देखने से कतरा रहा था। इस न्यायालय ने उसे बोलने और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए राजी किया और उससे यह भी पूछा कि वह अपने पिता के साथ कैसा महसूस करता है, लेकिन वह न्यायालय के समक्ष ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं कर सका।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. यह स्पष्ट है कि बंदी (कार्पस) का विकास सामान्य नहीं है, और यह न्यायालय उसके कल्याण के बारे में काफी चिंतित है, विशेष रूप से उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए।

5. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, श्रीमती ऋषिभा सेठी से भी बातचीत किया, जो प्रत्यर्थी संख्या 4, गौरव अनेजा की तलाकशुदा पत्नी है। उसने प्रस्तुत किया कि वह अभी भी अपने अलग रह रहे पति के साथ रहना चाहती है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि, चूंकि सक्षम न्यायालय द्वारा 09.03.2026 को तलाक की डिक्री पारित की जा चुकी है, इसलिए उसके लिए अपने पूर्व पति के साथ रहना संभव नहीं है।

6. उसने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि उसने एक अपील दाखिल करके तलाक देने वाले परिवार न्यायालय के निर्णय और डिक्री को पहले ही चुनौती दिया है, जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

7. उसने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि, वर्तमान में, वह कमा नहीं रही है, लेकिन वह शिक्षित है और पर्याप्त कमाई करने के योग्य है। उसने स्वीकार किया कि वह वर्तमान में अपने माता-पिता और भाई के साथ रह रही है और उन पर निर्भर है। उसने यह भी खुलासा किया कि वह भविष्य में विवाह करने का इरादा रखती है। उसने दावा किया कि, बंदी (कार्पस) की माता होने के नाते, वह उसकी अभिरक्षा की हकदार है।

8. इस न्यायालय ने उसे बंदी (कार्पस) से बातचीत करने का पर्याप्त अवसर दिया, लेकिन वह उसके साथ सार्थक संवाद नहीं कर सकी। बंदी (कार्पस) भी उसके साथ बातचीत करने से कतरा रहा था। यह स्पष्ट था कि, वर्तमान में, याचिकाकर्ता और बंदी (कार्पस) के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। इसके विपरीत, बंदी (कार्पस) अपने पिता के साथ सहज प्रतीत हो रहा था।

9. पूर्वोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान में बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को नहीं सौंपी जा सकती। हालांकि, उसे निश्चित रूप से मुलाकात का अधिकार प्रदान किया जा सकता है, और वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, ऐसे मुलाकात के अधिकार उदारतापूर्वक प्रदान किए जाने चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि बाल कल्याण समिति, मुजफ्फरनगर द्वारा आदेश दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से याचिकाकर्ता को मुलाकात का अधिकार पहले ही प्रदान किया जा चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दाखिल प्रति शपथ पत्र के माध्यम से यह भी प्रस्तुत किया है कि बाल कल्याण समिति ने याचिकाकर्ता को बंदी (कार्पस) से मिलने का अवसर प्रदान किया है। हालांकि, प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर, इस न्यायालय का यह सुविचारित विचार है कि याचिकाकर्ता को बंदी (कार्पस) से मिलने के लिए प्रदान किया गया अवसर पर्याप्त नहीं है। उसे अधिक उदार मुलाकात के अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने अवयस्क पुत्र के साथ भावनात्मक जुड़ाव विकसित करने में सक्षम हो सके।

11. इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, गौरव अनेजा से भी बातचीत किया, जो याचिकाकर्ता का पूर्व पति है। उसने प्रस्तुत किया कि उसके और याचिकाकर्ता के बीच वैवाहिक संबंध पहले ही टूट चुके हैं, क्योंकि सक्षम परिवार न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री प्रदान की जा चुकी है।

12. उसने तर्क प्रस्तुत किया कि वह बंदी (कार्पस) की अच्छी देखभाल कर रहा है और उसे एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला रहा है। उसने आगे खुलासा किया कि वह जनरल मर्चेन्ट के व्यवसाय में लगा हुआ है और बंदी (कार्पस) की देखभाल करने के लिए पर्याप्त कमाई कर रहा है। उसने इस आधार पर याचिकाकर्ता के साथ रहने से इनकार कर दिया कि तलाक की डिक्री द्वारा उनका विवाह पहले ही भंग हो चुका है।

13. पक्षकारों के साथ बातचीत करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह राय है कि, चूंकि बाल कल्याण समिति द्वारा याचिकाकर्ता को अवयस्क बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए वह उसके साथ उचित भावनात्मक जुड़ाव विकसित नहीं कर सकी। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अधिक उदार मुलाकात अधिकारों की आवश्यकता है ताकि वह बंदी (कार्पस) के साथ उचित भावनात्मक जुड़ाव विकसित कर सके और उसके उचित विकास और वृद्धि में भी सहायता कर सके।

14. तदनुसार, याचिकाकर्ता को स्कूल के समय के पश्चात प्रत्येक शनिवार को अगले रविवार शाम 6:00 बजे तक बंदी (कार्पस) की अस्थायी अभिरक्षा रखने की अनुमति है। वह स्कूल की छुट्टियों और अवकाश के दौरान भी बंदी (कार्पस) की अस्थायी अभिरक्षा रखने की हकदार होगी। इसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच मोबाइल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी।

15. याचिकाकर्ता ऐसी छुट्टी या अवकाश, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 4 को बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा वापस करने का वचन देती है, ताकि बंदी (कार्पस) की शिक्षा बाधित न हो।

16. प्रत्यर्थी संख्या 4 भी यह वचन देता है कि वह याचिकाकर्ता के साथ बंदी (कार्पस) की बैठकों और बातचीत में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

17. राज्य के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि बंदी (कार्पस) और याचिकाकर्ता के बीच बैठकें और बातचीत सौहार्दपूर्ण और अनुकूल वातावरण में हों। पक्षकार बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा का प्रयोग करते समय गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे और कोई अनावश्यक अनियंत्रित दृश्य उत्पन्न नहीं करेंगे या सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे।

18. पूर्वोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका **निस्तारित** की जाती है।

20 अगस्त, 2026

जितेन्द्र

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”